न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

1112
19.5.14

66

श्री. अंजनी कुमार सोनी एड
द्वारा आज दिनांक 14.5.15 के
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

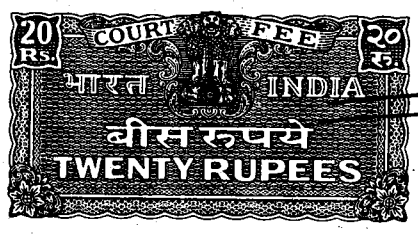

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रूपये
TWENTY RUPEES

Rs. 201/-

निगरानी 2131-II-15

क्रमांक 5516 ~~शिवकरण~~ पिता त्रिवेणी शाहू, साकिन डागा तह0 देवसर जिला सिंगरौली
रजिस्टर्ड पोस्ट म0प्र0 आज
दिनांक.................को प्राप्त

———————आवेदक

बनाम्

1– बेवा अमरनिया पत्नी स्व0 श्री काशी साहू, उम्र 63 वर्ष,

2– रामशरण पुत्र स्व0 श्री काशी साहू,

3– रामसहाय पुत्र स्व0 श्री काशी साहू,

4– रामदास पुत्र स्व0 श्री काशी साहू,

5– रामकुमार पुत्र स्व0 श्री काशी साहू,

6– रामकरण पुत्र स्व0 श्री काशी साहू,

सभी निवासी ग्राम डगा तह0 देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

7– श्रीमती रमजन देवी पुत्री स्व0 श्री काशी साहू, पत्नी रामलाल साहू, निवासी ग्राम गडेरिया तह0 सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

8– श्रीमती बूतल पुत्री काशी साहू, पत्नी श्री संतलाल साहू, निवासी मकरी, तह0 देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

9– श्रीमती रमकल देव पुत्री स्व0 श्री काशी साहू, निवासी ग्राम पुरैल तह0 देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 ——— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 249/निगरानी/03–04 में पारित आदेश दिनांक 27/04/2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

शिव कान्त साहू / अमरनिवास ?
R. 2131-दो/15-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15 (27)	1- प्रकरण राजस्व मण्डल, मुख्यालय ग्वालियर से पंजीयत होकर प्राप्त 2- आवेदक को कायमी पर सुनवाई हेतु सूचित किया जावे 3- वास्ते कायमी पर प्रस्तुत पेशी दिनांक 27-11-15 आ० ला० से० रीडर	
15-9-15	- आवेदक की ओर से इसके अधिवक्ता श्री अजंनी कुमार सोनी द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। 1- यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के मामला क्रमांक 249/निग./03-04 में पारित आदेश दिनांक 24-4-15 के विरुद्ध इस न्यायालय में दायर की गई है। निगरानी ज्ञापन के प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है जिसके अवलोकन से पाया गया कि विचारण न्यायालय (तहसीलदार) द्वारा नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है। 3- अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के नक्शा तरमीम के आदेश दिनांक 6-8-2003 को नियमों का पालन न करने के कारण तहसीलदार को पुनः मौके की स्थिति व अभिलेखों के आधार पर उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए एवं मान. व्यवहार न्यायालय के आज्ञप्ति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करने हेतु मामले को	

शाक्षेमुग्वा---766---फॉर्म्स---23-3-13---10,000 प्रपत्र.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2131-II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	→ प्रत्यावर्तित किया गया है जिसके विरुद्ध निगरानीकार द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी दायर की गई. जिसमे अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.7.2004 विधि सम्मत होने से हस्तक्षेप योग्य न होने से यथावत रखा गया है तथा निगरानी खारिज की गई है।	
	4. उपरोक्तानुसार अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकालकर विचार न्यायालय द्वारा किये गये नक्शा तरमीम की कार्यवाही को अवैध मानते हुए पुनः नक्शा तरमीम करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। फलतः निगरानी प्रचलन योग्य न होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।	
	सदस्य	